न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–सीधी

R 4187 II-16

रमाकान्त गुप्ता पुत्र श्री अवध प्रसाद गुप्ता, निवासी – ग्राम कोतरकला, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म.प्र.)

—— आवेदक

विरूद्ध

1– रमानुज गुप्ता पुत्र स्व. श्री महेश प्रसाद गुप्ता, निवासी– ग्राम कोतरकला, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म0प्र0)

2– मध्यप्रदेश शासन, द्वारा – कलेक्टर, जिला सीधी (म.प्र.)

—— अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास, जिला सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 52/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 26.10.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम कोतरकला, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी में स्थित आराजी खसरा नं. 91/मिन–1 रकबा 0.413 है. 94/मिन–1 रकबा 0.04 है., 101/मिन–5 रकबा 0.52 है., 102/मिन–6 रकबा 0.04 है., 103/मिन–6 रकबा 0.44 है. के नक्शा तरीमीम हेतु आवेदन पत्र आवेदक की ओर विचारण न्यायालय तहसीलदार गोपदबनास, जिला सीधी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ–5/2011–12 पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 11.11.2011 से स्वीकार किया गया।

2. यहकि, उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास, जिला सीधी के न्यायालय में अत्यधिक अवधि बाह्य प्रस्तुत की गयी, जो पारित आदेश दिनांक 26.10.2016 को सुनवाई हेतु ग्राह्य कर भूमि सर्वे नम्बर 103/3क रकबा 0.044 है. के विक्रय पर प्रतिबंधित किये जाने का स्थगन आदेश पारित किया है, जबकि उपरोक्त प्रकरण प्रचलन योग्य ही नहीं है क्योंकि अत्यधिक अवधि बाह्य है, इसके

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर (20)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4187/दो/16 **जिला** - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/06/2019	आवेदक श्री रमाकांत गुप्ता स्वयं उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के प्रकरण क्रमांक 52/अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.09.2019 को कलेक्टर जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	